



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2010/फाल्गुन 03, 1931

No. 56]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2010/PHALGUNA 03, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

सं. एफ-37-3/विधि/2008.—अधिसूचना संख्या 37-3/विधि/2008, दिनांक 26 मई, 2008 के अधिक्रमण में 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' एतद्द्वारा दिनांक 26 मई, 2008 की अधिसूचना सं. एफ-37-3/विधि/2008 द्वारा अधिसूचित 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्' (राष्ट्रीय प्रत्यायन मंडल का गठन एवं कृत्य) विनियम को निरस्त करती है।

यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

डॉ. डी. के. पालीवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/162/09]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL
EDUCATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2010

No. F. 37-3/Legal/2008.—In suppression of the Notification No. 37-3/Legal/2008, dated 26th May, 2008, the All India Council for Technical Education hereby repeals the All India Council for Technical Education (constitution and functions of National Board of Accreditation) Regulations, 2008, notified vide Notification No. 37-3/Legal/2008 dated 26th May, 2008.

2. These shall come into force with immediate effect.

Dr. D. K. PAULWAL, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty/162/09]